

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

राँची/दिनांक

संकल्प

झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014

झारखण्ड सरकार समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाईट के पत्रकारों एवं प्रेस कार्य में लगे केन्द्र एवं राज्य सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को अधिमान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं पदनाम :-

- 1.1 यह नियम झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014 के नाम से जाना जायेगा।
- 1.2 यह नियम अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
- 1.3 इस नियम के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाईट के मुख्यालय/जिला के प्रतिनिधियों एवं प्रेस कार्य में लगे केन्द्र एवं राज्य सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी।

2. परिभाषायें :-

इन नियमों में जबतक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- 2.1 'राज्य' का तात्पर्य है :- झारखण्ड राज्य।
- 2.2 'सरकार' का अर्थ है :- झारखण्ड सरकार।
- 2.3 'सचिव' का अर्थ है :- झारखण्ड सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव।
- 2.4 'निदेशक' का अर्थ है:- झारखण्ड सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक।

- 2.5 'प्रेस प्रतिनिधि' का अर्थ है :- संपादक, ब्यूरो चीफ, संवाददाता, छायाकार, विडियो कैमरामैन, व्यंग चित्रकार जो किसी समाचार पत्र/साप्ताहिक/पाक्षिक/संवाद समिति (समाचार एजेन्सी)/समाचार छायाचित्र एजेंसी /दूरदर्शन/आकाशवाणी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज वेबपोर्टल/न्यूज वेबसाईट का प्रतिनिधित्व करते हों।
- 2.6 'समाचार पत्र' का अर्थ है नियत अन्तरालों पर मुद्रित और समूल्य वितरित कोई ऐसा प्रकाशन जिसमें " प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 " में यथा परिभाषित जनहित के समाचार या टिप्पणी अन्तर्विष्ट हो, लेकिन इससे ऐसा कोई प्रकाशन अभिप्रेत नहीं है, जिसमें मात्र किसी वर्ग विशेष के हित की सूचना अन्तर्विष्ट हो।
- 2.7 'संपादक' का अर्थ है, वह व्यक्ति जो प्रेस एवं पुस्तक निबंधन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत समाचार पत्र का घोषित संपादक हो।
- 2.8 "इलेक्ट्रॉनिक मीडिया" का अर्थ ऐसे चैनल से है जो सेटलाईट के माध्यम से श्रव्य एवं दृश्य/रेडियो जो शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी/मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी एवं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से प्रसारण करते हो तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/राज्य सरकार के स्वीकृत एवं अनुमोदित सूची में सम्मिलित हो।
- 2.9 'समाचार एजेन्सी' से तात्पर्य वह समाचार एजेन्सी है, जो राज्य के समाचार पत्रों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संस्थाओं को संवाद सेवाएं देती हों और जिसमें जनहित के समाचार/फीचर्स/टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।
- 2.10 "न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाईट" का अर्थ है ऐसा न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाईट जो पूर्णकालिक रूप से केवल जनहित के समाचार या अन्तर्विष्ट टिप्पणियाँ नियमित रूप से वेब पर अपलोड करते हों।
- 2.11 'प्रेस प्रमाणीकरण समिति' का तात्पर्य है सरकार द्वारा गठित ऐसी समिति जो राज्य में स्थित कार्य करने वाले प्रेस प्रतिनिधियों को अधिमान्यता देने के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए गठित किया गया है।
- 2.12 'अनुभव' से तात्पर्य है पूर्णकालिक पत्रकारिता का अनुभव।
- 2.13 'समिति' का तात्पर्य है - प्रेस प्रमाणीकरण समिति।

2.14 'स्वतंत्र पत्रकार' से तात्पर्य, वेसे पत्रकार है, जो किसी समाचार पत्र/समाचार एजेंसी से पूर्णकालिक रूप से संबद्ध नहीं है, किन्तु नियमित अन्तराल पर उनके समाचार/आलेख विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों में आता रहा है।

3. प्रेस प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने विषयक नियम :

- 3.1 समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाइट के प्रतिनिधियों राज्य एवं केन्द्र सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य मुख्यालय के लिए परिशिष्ट-1 में दिये गये आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा जिला स्तर के लिए परिशिष्ट - 2 में दिये गये आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- 3.2 अधिमान्यता के लिए पत्रकारिता का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रकाशित समाचार पत्रों/ समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज वेब पोर्टल में पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए।
- 3.3 अनुभव का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- 3.4 आवेदन पत्र के साथ रंगीन छायाचित्र तीन प्रतियों में संलग्न करना होगा जिनमें से आवेदन पत्र पर दिये गये छायाचित्र संपादक/ब्यूरो चीफ द्वारा अभिप्रमाणित रहना आवश्यक है।
- 3.5 प्रेस प्रतिनिधि की न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष एवं सक्रिय पत्रकार होना चाहिए।
- 3.6 प्रेस प्रतिनिधि स्नातक या स्नातक समतुल्य अहर्ता रखता हो। गैर स्नातक मामले में विभागीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इसमें छूट प्रदान कर सकता है।
- 3.7 स्वतंत्र पत्रकारों को अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट-3 में दिये गये आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- 3.8 स्वतंत्र पत्रकारों को अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 15 वर्षों का पूर्णकालिक संवाददाता का अनुभव होना अनिवार्य है। उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि वे वर्तमान में किसी समाचार पत्र एवं एजेंसी से नहीं जुड़े हैं।

- 3.9 स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए निर्धारित अनुभव राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों में पूर्णकालिक संवाददाता, ब्यूरो चिफ के नियमित कार्य करने का अनुभव हो।
 - 3.10 अधिमान्यता की अवधि अधिकतम दो वर्षों के लिए होगी।
 - 3.11 अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार यदि अपना संस्थान बदलते हैं, तो उनकी अधिमान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
 - 3.12 प्रेस कार्य में लगे केन्द्र एवं राज्य सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को केन्द्र के राज्य स्तरीय प्रमुख/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अनुशंसा से अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। इसकी शक्ति विभाग में निहित रहेंगी।
4. अधिमान्यता का नवीकरण :-
- 4.1 नवीकरण की शक्ति विभाग में निहित होगी।
 - 4.2 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग इस शक्ति का उपयोग करते हुए अधिमान्यता का नवीकरण कर सकेंगे।
 - 4.3 अधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद नवीकरण के लिए निर्गत प्रेस प्रमाणिकरण प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ विभाग में आवेदन देना होगा।
 - 4.4 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्राप्त आवेदन से संतुष्ट होने के बाद आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए नया पहचान पत्र निर्गत करेंगे।
5. राज्य प्रेस प्रमाणीकरण समिति का गठन और कार्यावधि :-
- 5.1 इन नियमों में अधिकलित कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।
 - 5.2 इस समिति का नाम प्रेस प्रमाणीकरण समिति होगा।
 - 5.3 समिति में कुल 15 सदस्य होंगे।
 - 5.4 समिति के सदस्यों का मनोनयन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होगा।
 - 5.5 समिति के मनोनीत सदस्यों में 5 राँची से प्रकाशित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय बड़े समाचार पत्रों के संपादक होंगे। एक सदस्य उर्दू समाचार पत्र के

- संपादक होंगे तथा एक सदस्य लघु या अल्प प्रसार के समाचार पत्र के संपादक होंगे।
- 5.6 समिति के मनोनीत सदस्यों में 3 सदस्य राँची स्थित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी सहित) के ब्यूरो प्रमुख/राज्य प्रमुख/चैनल हेड होंगे।
- 5.7 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रेस प्रभारी इस समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे।
- 5.8 एक सदस्य समाचार एजेंसी जिसका कार्यालय राज्य मुख्यालय में अवस्थित से होंगे।
- 5.9 एक सदस्य न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाइट जिनका कार्यालय मुख्यालय, राँची में हो, से होंगे।
- 5.10 एक सदस्य साप्ताहिक/पाक्षिक पत्र पत्रिका के संपादक होंगे।
- 5.11 समिति के अध्यक्ष विभागीय सचिव होंगे तथा उपाध्यक्ष निदेशक होंगे।
- 5.12 समिति के मनोनीत सदस्य चक्रानुक्रम में 2 वर्षों के लिए मनोनीत होंगे।
- 5.13 समिति की बैठक संचालन के लिए गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित 6 सदस्यों की होगी।
- 5.14 समिति की बैठक वर्ष में चार बार होगी तथा आवश्यकतानुसार 48 घंटे की पूर्व सूचना पर आयोजित की जा सकेगी।
- 5.15 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अनुमति से उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।
- 5.16 समिति की दो बैठकों के अंतराल में आवश्यक होने पर निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, निर्धारित अहर्ता पूरी करने वाले प्रेस प्रतिनिधियों को अस्थाई अधिमान्यता प्रदान कर सकते हैं। यह अस्थाई अधिमान्यता 6 माह से अधिक नहीं होगी तथा इसकी पुष्टि समिति के आगामी बैठक में करा लेनी होगी।

6. अधिमान्यता के लिए समाचार पत्र/पत्रिका की अधिकतम सीमा :-

क्र.		समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाइट का वर्गीकरण	राज्य स्तर पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या की अधिकतम सीमा	जिला स्तर पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या की अधिकतम सीमा (ऑकड़ा प्रत्येक जिलावार)	अभ्युक्ति		
6.1		दैनिक समाचार पत्र					
			पत्रकार	छायाकार	पत्रकार	छायाकार	
	6.1.1	राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनका प्रकाशन राज्य में नहीं होता है किन्तु राज्य में इनके कार्यालय या प्रेस/ पत्रकार कार्यरत रहते हैं।	3	2	1	1	
	6.1.2	राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनका प्रकाशन/मुद्रण झारखण्ड राज्य में होता है। (राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र वे होंगे जिनका कम से कम कुल 5 संस्करण प्रकाशित होता हो तथा राज्य के बाहर भी कम से कम एक संस्करण प्रकाशित होता हो)	12	6	3	2	यदि राज्य मुख्यालय से बाहर राज्य के किसी जिला से प्रकाशन एवं मुद्रण होता है, तो वह जिला उसका मुख्यालय माना जायेगा तथा राज्य मुख्यालय (राँची) उसके लिए जिला स्तर माना जायेगा।
	6.1.3	राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिनका प्रसार संख्या 50 हजार (प्रतिदिन) से अधिक हो	8	2	1	1	
	6.1.4	राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिनका प्रसार संख्या 50 हजार (प्रतिदिन) से कम हो	3	1	1	1	प्रसार संख्या जिला में 5000 से अधिक होने पर ही जिला स्तर पर अधिमान्यता दी जायेगी।
	6.1.5	जिला स्तरीय/प्रमंडल स्तरीय समाचार पत्र	1	1	1	1	प्रसार संख्या 5000 से अधिक होने पर ही अधिमान्यता दी जायेगी।
6.2	6.2.1	पाक्षिक /साप्ताहिक आदि	1	1	1	1	प्रसार सं० जिला में 1000 से अधिक होने पर ही जिला स्तर पर अधिमान्यता दी जायेगी।
6.3	6.3.1	राष्ट्र स्तरीय समाचार एजेंसी जिनका कार्यालय राज्य मुख्यालय में हो।	2	1	1	1	
	6.3.2	राज्य स्तरीय समाचार एजेंसी	1	1	1	1	
6.4	6.4.1	राष्ट्र स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनका कार्यालय राज्य मुख्यालय में हो।	3	2	1	1	

	6.4.2	राष्ट्र स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनका राज्य स्तर के लिए अलग शाखा हो जो राज्य मुख्यालय में हो।	12	6	1	1	
	6.4.3	राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	12	6	1	1	
6.5	6.5.1	राष्ट्र स्तरीय न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाइट जिनका कार्यालय राज्य मुख्यालय में हो।	1	1	1	1	
	6.5.2	राज्य स्तरीय न्यूज वेब पोर्टल/न्यूज वेबसाइट जिनका कार्यालय राज्य मुख्यालय में हो।	1	1	1	1	
6.6	6.6.1	दूरदर्शन आकाशवाणी तथा पी०आई० बी० के प्रतिनिधि	उनके राज्य प्रमुख जिनकी अनुशंसा प्राप्त हो।				
6.7	6.7.1	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी	निदेशक द्वारा अनुशंसा प्राप्त हो।				

7. अधिमान्यता की वापसी :- सरकार को अधिमान्यता की वापसी संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदत्त होगी :-

- 7.1 कोई मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधि उपलब्ध सूचनाओं एवं सुविधाओं का उपयोग पत्रकारिता के अलावे अन्य कार्य के लिए करता है।
- 7.2 यदि प्रेस प्रतिनिधि के रूप में प्रेस प्रतिनिधि का व्यवहार और कृत्य पत्रकारिता के गरिमा के प्रतिकूल हो।
- 7.3 यदि उस पर पीत पत्रकारिता एवं भयादोहन का आरोप हो।
- 7.4 यदि प्रेस प्रतिनिधि पर अनैतिक कार्यों में संलग्न रहने का आरोप है।
- 7.5 यदि प्रेस प्रतिनिधि ऐसी सरकारी सूचनाओं अथवा विवरण प्रकाशित करता है, जिनकी गोपनीयता देश अथवा राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तथ्य जो सूचना सामाजिक एवं साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाला हो।
- 7.6 अगर उनके व्यवहार एवं आचरण के विरुद्ध शिकायत सही पायी जाती है।
- 7.7 यदि कोई अधिमान्यता प्राप्त प्रेस-प्रतिनिधि संबंधित समाचार पत्र/ संवाद समिति / प्रसारण संस्थान/ दूरदर्शन आकाशवाणी प्रतिष्ठान की प्रतिनिधित्व छोड़ते हैं अथवा राज्य से बाहर स्थानान्तरित हो जाते हैं या उनका कार्य क्षेत्र झारखण्ड राज्य के बाहर हो जाता है तो उसकी लिखित सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को 7 दिनों के अन्दर देंगे तथा प्रेस प्रमाणीकरण पहचान पत्र वापस कर देंगे। अगर कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं करते हैं तो सूचना प्राप्ति होने के बाद निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उस प्रेस प्रतिनिधि को अधिमान्यता रद्द करने के संबंध में कार्रवाई कर सकने के लिए सक्षम है।

यदि इस प्रक्रिया के तहत मान्यता समाप्त होती है तो उस प्रतिनिधि को पुनः मान्यता पाँच वर्षों तक नहीं मिलेगी।

8. अन्यान्य :-

- 8.1 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक के कार्यालय में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की एक सूची संधारित की जायेगी, जो विभागीय वेबसाइट पर भी जानकारी के लिए प्रदर्शित रहेगा।
 - 8.2 प्रेस कार्ड के खो जाने या नष्ट होने पर सूचना पुलिस को दी जाये एवं पुलिस द्वारा की गई प्राप्ति के प्रमाण के साथ प्रेस कार्ड खोने की सूचना के प्रति एवं विहित शपथ पत्र के साथ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक के समक्ष आवेदन करेंगे। निदेशक के द्वारा संतुष्ट होने पर नया प्रेस प्रमाणीकरण पहचान पत्र प्रदान की जाएगी।
 - 8.3 इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत पूर्व में निर्गत अधिमान्यता प्रेस प्रमाणीकरण पहचान पत्र को विभाग में जमा कराना होगा। निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग अधिनियम के प्रावधानों के तहत नया प्रेस प्रमाणीकरण पहचान पत्र निर्गत करेंगे ताकि एकरूपता बनी रहे।
 - 8.4 इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व में निर्गत प्रेस प्रमाणीकरण पहचान पत्र को निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को समर्पित करना अनिवार्य होगा। जिला स्तर अधिमान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधि, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करेंगे।
 - 8.5 आदेश निर्गत होने की तिथि से 6 माह बाद इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व में निर्गत सभी प्रेस प्रमाणीकरण पहचान पत्र की वैधानिक मान्यता नहीं रह जायेगी। अतः नये आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट -1/2/3) में आवेदन देना अनिवार्य होगा।
9. अधिमान्यता से संबंधित किसी भी प्रकार अन्यान्य विषय जो उपरोक्त नियमों में नहीं आता हो, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग विभागीय नियमों के अन्तर्गत उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(एम० आर० मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :...../

राँची, दिनांक/

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एम० आर० मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :...../

राँची, दिनांक/

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एम० आर० मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 379...../

राँची, दिनांक 29.9.14/

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र)/सभी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एम० आर० मीणा)

सरकार के सचिव